हिंदी विभाग
नवोन्मेष

ट्रांसजेंडर :
सामाजिक समावेश और समानता

सम्पादक मण्डली

सम्पादक – कस्तुरी साह

सह-सम्पादक – पुजा सिंह, अमर कुमार बासफोर

मार्गदर्शक – डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
डॉ. अमेषा कोंवर
डॉ. जयश्री काकति

अलंकरण – आदित्य बर्मन, गोपाल कुमार यादव, बासस्मिता मेधि, कृष्णांगी बर्मन, दीक्षिता डेका

सदस्य – पाहाड़ी दास, स्मृति डेका, बिदिशा शइकीया, दीप्सिता शर्मा, शिखा सिंह, जयश्री डे, हिमाक्षी बर्मन

संपादकीय

हमारे हिन्दी विभाग की ओर से प्राचीर पत्रिका 'नवोन्मेष' में इस बार "ट्रांसजेंडर: सामाजिक समावेश और समानता" विषय को चुना गया है। इसमें मौजूदा समाज में देखी जा रही परिस्थितियों को नजर में रखकर ट्रांसजेंडर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विभाग के गुरुजनों के मार्गदर्शन से इसबार की तरह निकट भविष्य मे भी 'नवोन्मेष' को नयी दिशा प्रदान करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी।

— कस्तूरी साहू

उद्घाटनकर्ता के
कलम से —

Topic chosen is excellent
which shows the compassion
of the students of the
department.
Presentation is very nice.

20/04/2023

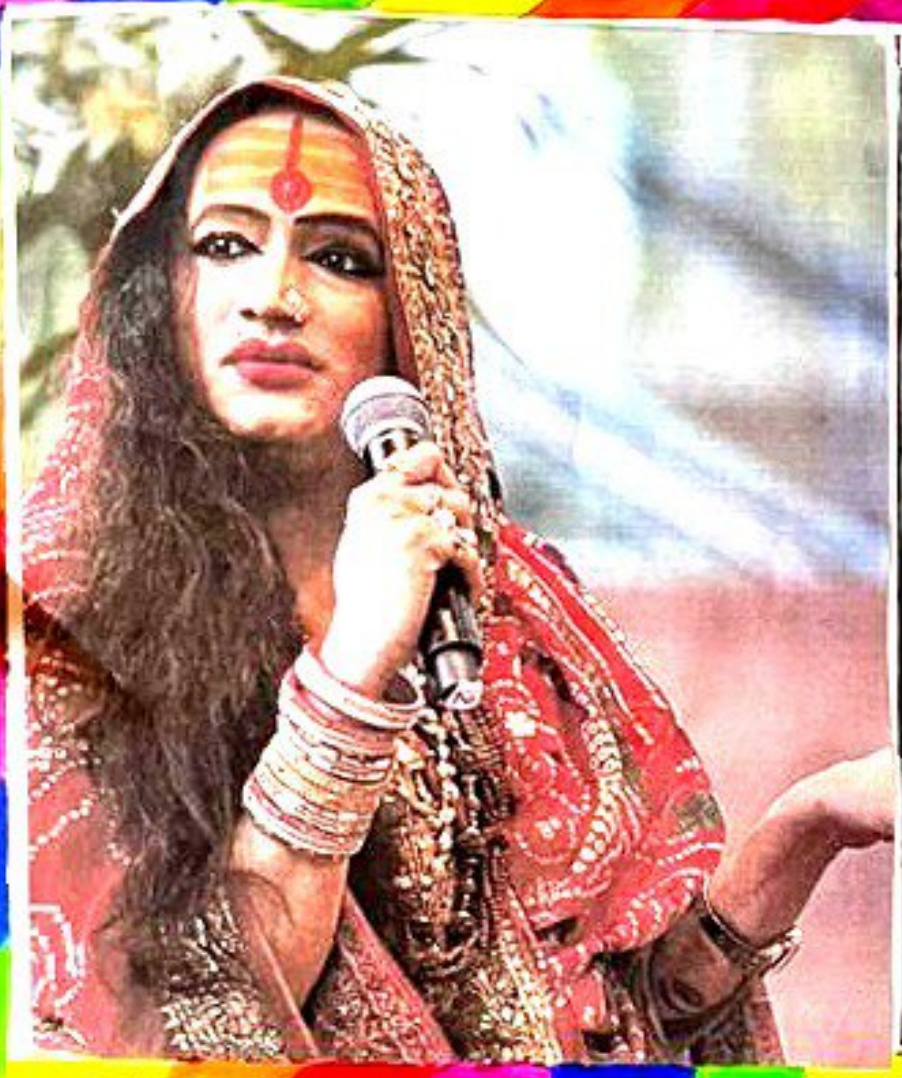

लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। उन्हे लक्ष्मी नाम से जाना जाता हैं। उनका जन्म 13 दिसंबर 1978 को हुआ था। महाराष्ट्र के ठाणे के मारुति बाई हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। अभी वो हिजरा और किन्नर समाज को समानता का अधिकार देने के लिए काम करती है और N.G.O भी चलाती हैं।

संग्रहकर्ता – जुगब्रत हाजरिका

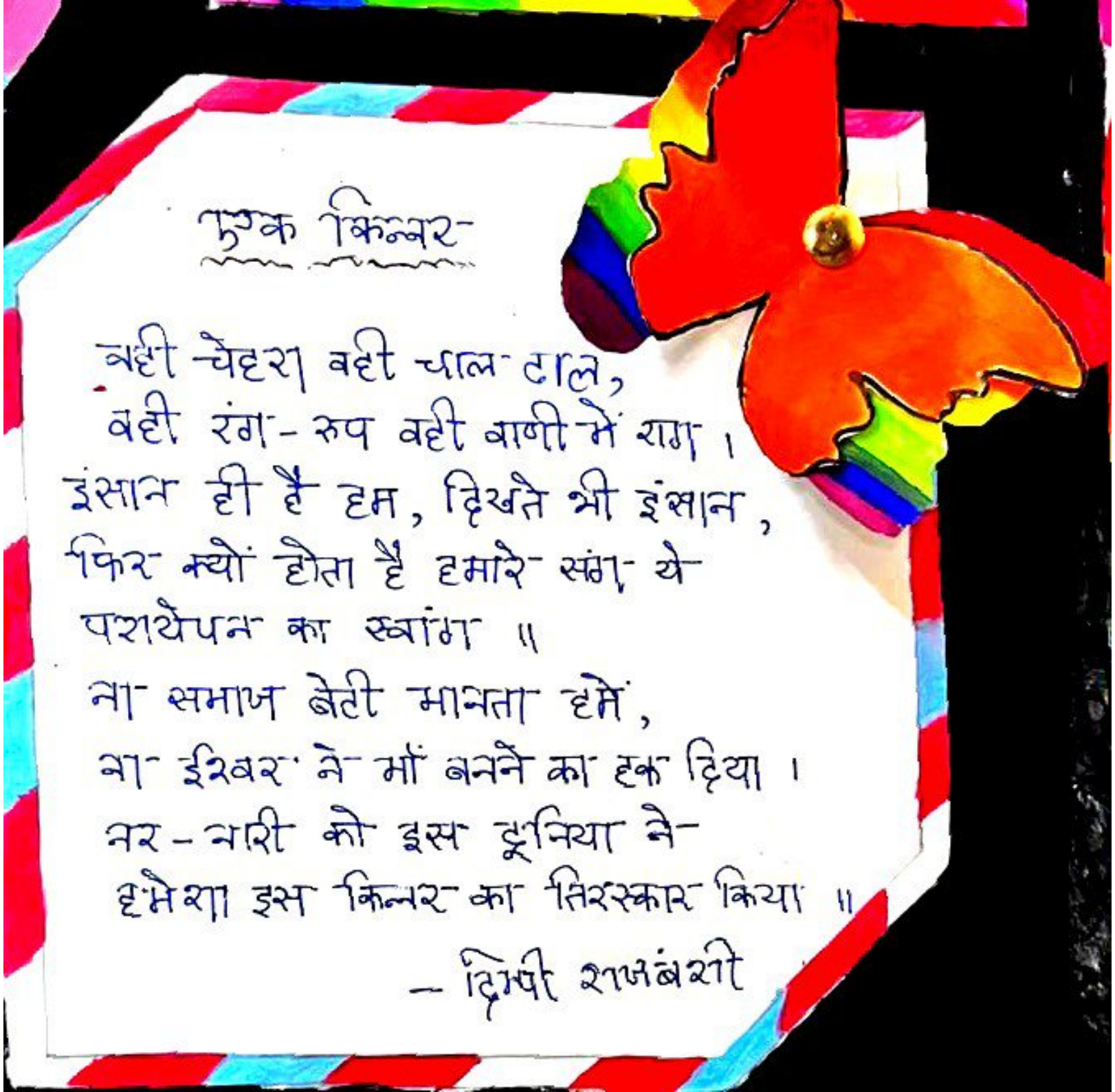

एक किन्नर

वही चेहरा वही चाल-ढाल,
वही रंग-रुप वही वाणी में राग।
इंसान ही है हम, दिखते भी इंसान,
फिर क्यों होता है हमारे संग ये
परायेपन का स्वांग ॥

ना समाज बेटी मानता हमें,
ना ईश्वर ने माँ बनने का हक दिया।
नर-नारी को इस दूनिया ने
हमेशा इस किन्नर का तिरस्कार किया ॥

— दिप्ती राजबंशी

घरों से निकाल दिया गया हमें,
हमने तो सड़कों पे जिंदगी गुजारी
है, दोष जमाने को क्या दे
हम तो अपने घरवालों के
लिए ही भारी हैं।

— ज्योति सिंह

खामोश

खामोश तो मैं नहीं,
हाँ पर कभी कहीं भी नहीं,
देखता हूँ, रोज जिसे आईने में,
शायद वो कोई और है मैं नहीं,
देखता हूँ आईने में,
खुद से ही कहता हूँ ये तू नहीं,
छुपा के रखो अपने आप को अपने आप से
तुम्हें अपनाने का औरों में दम नहीं।

— गोपाल कुमार यादव

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

→ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCPT) भारत सरकार की एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी है जो ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स को प्रभावित करने वाले सभी मामलों और GIESC (लिंग पहचान / अभिव्यक्ति और लिंग विशेषताओं) की पहचान सभी मामलों पर नीतिगत सलाह प्रदान करती है।

केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के आलोक में राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले' में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को 'तीसरे लिंग' (Third Gender) के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

अगस्त, 2020 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons - NCTP) का गठन किया गया। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 के तहत किया गया है। परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ पांच राज्यों व केंद्र सरकार के 10 विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

परिषद का कार्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्बंध में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं बनाने में केन्द्र को सलाह देना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानता हासिल करने और पूरी तरह भागीदारी प्रदान करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करना और नीतियों के प्रभाव का आकलन करना। परिषद के अन्य कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले को देख रहे सरकार के सभी विभागों, अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके बीच समन्वय करना, इत्यादि कई कार्य NCPT करता है।

— भवानी कलिता

हीन कोटि का प्रेम वह है, जो नर नारी के बीच होता है, इस प्रेम का लक्ष्य सन्तानोत्पति है। किंतु इससे अधिक श्रेष्ठ प्रेम वह है, जो नर होता है, जब दो पुरुष आपस में प्रेम करते हैं, तब उस प्रेम से बच्चे नहीं जनमते बल्कि कला, ज्ञान और दर्शन उत्पन्न होते हैं।

— प्लेटो

भारतीय फिल्मों में चित्रित समलैंगिकता

इसी साल अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी' फिल्म आई, यह फिल्म 'हॉलीवुड' फिल्म 'कंचना' का हिन्दी रिमेक है। यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, इसमें किन्नर की आत्मा एक डरपोक लड़के के शरीर में आ जाती है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है।

— जयश्री डे

प्रतिष्ठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कहानियाँ

ट्रांसजेंडर को अक्सर संक्षिप्त में ट्रांस भी कहा जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हम ज्यादातर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आदि में देखा जा सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति आज उपलब्धियों को शिखर तक पहुँची हैं। कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कहाँनिया नीचे उल्लेखित हैं —

i.) ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान :- इनका नाम पूर्व में रतिकांत प्रधान था। भारत की पहली खुले तौर पर ट्रांसजेंडर सिविल सेवक हैं, जो एक वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में ओड़िशा वित्तीय सेवा में काम कर रही हैं। उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के बाद, ट्रांसजेंडर समुदाय के तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के बाद उसने 2015 में कानुनी रूप से अपनी लिंग पहचान दी।

ii.) सत्यश्री शर्मिला :- सत्यश्री शर्मिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ तामिलनाडु और पुदुचेरी में अपना नाम दर्ज कराया। 36 साल की सत्यश्री वकील बनने से पहले ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए कार्यकर्ता के रूप में 11 सालों से काम कर रहे थे।

iii.) जोइता मंडल :- पश्चिम बंगाल की 30 वर्षीय की पहचान आज देश की पहली किन्नर (ट्रांसजेंडर) न्यायाधीश के तौर पर हैं। वह वृद्धाश्रम के संचालन के साथ रेड लाइट इलाके में रह रहे परिवारों की जिन्दगीयाँ बदलने में लगी हैं। उनके सेवा और समपर्ण भाव को देखते हुए उन्हे बंगाल सरकार ने उनका सम्मान करते हुए लोक अदालत की न्यायाधीश नामांकित किया हैं। वे देश की पहली 'किन्नर' न्यायाधीश हैं।

यह हमारे देश की कुछ प्रतिष्ठित ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत और कठिनाई से जीवन संग्राम में सफलता हासिल की हैं।

- हिमशिखा कलिता

हाँ, हूँ मैं एक किन्नर

मैं भी ईश्वर की ही बनायी हुई हूँ
सबसे अलग सबसे जुदा लेकिन मैं भी रखती हूँ
अहमियत ।
हाँ, हूँ मैं एक किन्नर
इज्जत नहीं है इस समाज में मेरी
कोई देख के हंसता है तो कोई न देखने का ढूंढता
है बहाना,
पता नही फिर भी मांगती हूँ उनसे पेट भरने की
भीख हाँ, हूँ मैं एक किन्नर
कभी बस में तो कभी रास्ते में ताली बजाती मिल
जाती हूँ मैं,
बिन बुलाए पहुँच जाती हूँ मैं उनके घर
अपना आशीष लेकर जहाँ आने वाले हो खुशियाँ ।
और इसी गर्व से कहती हूँ –
" हाँ, हूँ मैं एक किन्नर ।"

– विदिशा शाइकीया

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का 2016, 2019 विधेयक एक्ट

- **2016 विधेयक एक्ट :** अगस्त 2016 में, सरकार ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों और संरक्षण) विधेयक, 2016 पेश किया। इसके तहत किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान से जुड़ा एक सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जोकि उसे जिले के तहत एक प्रदत्त अधिकारी प्रदान करेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान को मान्यता देने का प्रमाण देगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने का आवेदन जिला अधिकारी (डी. एम) को किया जाएगा।

- **2019 विधेयक एक्ट :** सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने 19 जुलाई, 2019 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों और संरक्षण) बिल, 2019 पेश किया। बिल कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर, भेदभाव शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।

– अमर कुमार बासफोर

भारत में ट्रांसजेंडर की समानता का प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 देश में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबोधित करता है। जिस प्रकार महिलाओं और पुरुषों को सम्मान और गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है उसी प्रकार देश के LGBTQ समुदाय को भी सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर बिल से जुड़ी समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से समाधान करने का प्रयास करे, क्योंकि यह विधेयक उन्हीं से संबंधित है और उनकी सहमति के बिना इसे लागू करना इसकी सफलता में बड़ी बाधा है। भारत के संविधान में स्थान मिलने के बाद भी - ट्रांसजेंडर लोगों को आवास स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में बहुत भेदभाव का सामना अभी भी करना पड़ता है। उनके साथ किया गया भेदभाव सामाजिक कलंक और अलगाव से उत्पन्न होता है कि वे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों की कमी से पीड़ित है। उन्हें भेदभाव के बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 में भेद भाव के खिलाफ निषेध शामिल है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है।

— दीक्षिता शर्मा

मेरी कहानी

ना तो मैं अम्बर से टपकी
न उपजी धरती से
जैसे सब बच्चें आते हैं,
मैं भी आई थी वैसे
मैं भी इस जहाँ में,
किसी माँ-बाप की ही
संतान हूँ
लेकिन मेरे जन्म पर पिता मनाता
है मातम और माँ कोख
को कोसे ।

संग्रहकर्ती - बागीसमता
मेधि

ट्रांसजेंडर आधारित पौराणिक कथाएँ

संग्रहकर्ता — आदित्य वर्मा

वर्तमान समय में हमारे इर्द-गिर्द रहनेवाले कुछ लोगों का समूह जिसे हम ट्रांसजेंडर अथवा तृतीय लिंग अथवा किन्नर भी कहते हैं। इनका इतिहास सदियों पुरानी है। हमारे मन में प्रायः ही यह प्रश्न आता है कि ट्रांसजेंडरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उनकी उत्पत्ति के बारे में एक बड़ी ही रोचक कहानी है —

बहुत पहले प्रजापति कार्दम नाम का एक पुत्र था। बड़ा होकर इल को शिकार करने का बड़ा शौक था, एक दिन वे शिकार करते-करते जंगल के उस पर्वत पर चले गए जहाँ पर शिव जी माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं कि तब शिवजी माता पार्वति को खुश करने के लिये अर्धनारीश्वर का रूप किये हुए थे। जब शिवजी ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किये थे तब उस जंगल के सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु आदि सभी स्त्री बन गए थे। चूंकि राजा इल भी तब उसी जंगल में थे इसलिए स्त्री के रूप में राजा इल तथा उनके सभी सैनिक बदल गए। खुदको स्त्री के रूप में देखकर राजा काफी दुखी हो गए और वे शिव जी के पास जाकर अपना पुरुषत्व को लौटा देने के लिये प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी ने कहा कि तुम अपनी पुरुषत्व को छोड़कर कोई भी दूसरा वरदान मांग लो मैं दे दूंगा और वहा से चले गए पर राजा इल ने दूसरा वरदान माँगने से इनकार कर दिया। वहा से निकल कर राजा इल माता पार्वति को प्रसन्न करने लगें और उनकी तपस्या से माता पार्वती प्रसन्न होकर उसे वरदान माँगने को कहा तब राजा ने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व लौटा देने का वरदान माँगा, लेकिन तब माता ने कहा की तुम जिस पुरुषत्व की वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दावेदार तो खुद महादेव हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें पुरुषत्व का आधा भाग दे सकती हुं। अर्थात तुम अपना आधा जीवन पुरुष के रूप में रहना और आधा जीवन स्त्री के रूप में व्यतीत कर सकते हो, अतः तुम कब स्त्री के रूप में और कब पुरुष के रूप में रहना चाहते हो मुझे बता दो। तब राजा इल ने सोच समझ कर बताया की "हे माँ! मैं एक महीने स्त्री के रूप में रहना और एक महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हुं।" तब माता पार्वती ने तथास्तु, कहकर उन्हें वरदान दे दिया। इस तरह राजा इल माता पार्वति के वरदान से एक महीने पुरुष और एक महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। परंतु राजा के सभी सैनिक स्त्री के रूप में ही रह गये। एक दिन सारे सैनिक इला के साथ चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब बुद्ध ने उन सभी स्त्री सैनिकों से कहा कि तुम सब किंपुरुषी अपना निवास स्थान बना लो और किंपुरुष पतियों